न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर(राज.)

(पीठासीन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 21/2023 (निगरानी पंचायत)

GCMS No : 2023/40

अनवान

देवमूर्ति श्री पालेश्वर महादेव जरिये वादमित्र :–

1. श्री पुरनसिंह पिता श्री रणजीतसिंह पंवार निवासी फलासिया, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर (राज.)।
2. श्री भेरूलाल पिता श्री मावा निवासी फलासिया, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर (राज.)।
3. श्री फतेहलाल पटेल पिता श्री खेमा पटेल निवासी फलासिया, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर (राज.)।
4. श्री पवनसिंह पिता श्री करणसिंह पंवार निवासी फलासिया, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर (राज.)।

– निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्री तुलसीराम पिता धनराज मेहता निवासी फलासिया तहसील झाडोल जिला उदयपुर।
2. ग्राम पंचायत फलासिया, पंचायत समिति फलासिया, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री कमलेश चौहान, अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
2. श्री सुरेश चन्द्र त्रिवेदी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994
विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत ऋषभदेव फलासिया पट्टा जारी आदेश दि. 05.10.22
(पट्टा संख्या 13158 मिसल संख्या 10/2013)

*** निर्णय ***

दिनांक– 28-08-2024

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 मय धारा 5 अवधि अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थी मूर्ति श्री पालेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने वाला देव स्थान मूर्ति (डिटी) है जिसका मन्दिर ग्राम फलासिया में स्थित हैं देवमूर्ति का उक्त स्थान 200 वर्ष पुराना है। जिसकी सारी व्यवस्था सेवा पुजा तथा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

देखरेख स्थानीय वादमित्रों व ग्रामीणों के द्वारा जन सहयोग से की जाती है। मूर्ति श्री पालेश्वर महादेव स्थान देय फलासिया सार्वजनिक मन्दिर है जिसका निर्माण समस्त ग्राम वासियों द्वारा मिलकर जन सहयोग राशि देकर निर्माण किया गया है। मन्दिर मूर्ति के पूर्व दिशा में मन्दिर की परिक्रमा करने की तीन फीट की भूमि के बाद विपक्षी संख्या 1 का आबादी भूखण्ड स्थित है विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने उक्त भूखण्ड का विपक्षी संख्या 2 से पट्टा दिनांक 05.10.2022 को जारी कराया गया उसमें विपक्षी संख्या 1 द्वारा मन्दिर की 3 फीट जमीन जो परिक्रमा के काम आती है उसे अपने भूखण्ड के अन्दर सम्मिलित करते हुए इसका भी पट्टा संख्या 27813 दिनांक 05.10.2022 को जारी कराते हुए पट्टा पंजीयन का विलेख दिनांक 07.12.2022 को पंजीबद्व करा लिया गया जिस कार्यवाही से असन्तुष्ट व दुखी होकर प्रार्थी की और से निगरानी आप न्यायालय में निम्न आधारो पर प्रस्तुत किया है। विपक्षी संख्या 1 के नाम पर विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत फलासिया द्वारा जारी किया गया पट्टा संख्या 27813 दिनांक 05.10.2022 विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। देवमूर्ति श्री पालेश्वर महादेव स्थान देय का मन्दिर ग्राम फलासिया तहसील झाडोल में निम्न पडौस के मध्य स्थित है–

पूर्वः– मन्दिर की परिक्रमा करने की तीन फीट की भूमि के बाद विपक्षी संख्या 1 की भूमि

पश्चिमः– आम रास्ता

उत्तर :– मन्दिर की कुछ भूमि बाद में आम रास्ता

दक्षिण :– पीपल का वृक्ष एवं मन्दिर की सार्वजनिक भूमि

उक्त मन्दिर के पूर्व दिशा में परिक्रमा करने की तीन फीट चौडी भूमि स्थित है जिस भूमि का उपयोग मन्दिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्वालुओं द्वारा परिक्रमा के लिए किया जाता है उक्त तीन फीट की जगह के बाद विपक्षी सख्या 1 का भूखण्ड स्थित है जिस पर उसका पुराना मकान बना हुआ था जिस मकान का पट्टा प्राप्त करने हेतु विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 के यहां पर आवेदन किया गया जिसमें मन्दिर की परिक्रमा की तीन फीट चौडी जगह को भी अपने मकान की जगह बताते हुए दिनांक 05.10.2022 को पट्टा जारी करा लिया गया है तो कार्यवाही गलत व विधिविरूद्ध होकर जारी किया गया उक्त पट्टा प्रार्थी के हक व अधिकारों के विपरित होने से निरस्त योग्य है। उक्त तीन फीट जगह से विपक्षी संख्या 1 का कभी भी कोई सरोकार नहीं रहा है न ही उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के कब्जे की रही है उक्त भूमि मन्दिर की भूमि है उक्त सारी स्थिति से विपक्षी संख्या 1 अवगत होते हुए भी उसने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

गलत रूप से मन्दिर की भूमि को भी अपनी बता विपक्षी संख्या 2 के यहां आवेदन किया जिसमें विपक्षी संख्या 1 के द्वारा जो पडौस बताये गये है व भी गलत रूप से अंकित किये गये है विपक्षी संख्या 1 द्वारा पश्चिम दिशा में आम रास्ता बताया गया है जो गलत है जबकि पश्चिम दिशा में मन्दिर की परिक्रमा की जमीन स्थित है उक्त सारी स्थिति की विपक्षी सख्या 2 ने भी अनदेखी कर व बगैर मौके की जांच किये व सही स्थिति को देखे बिना ही विपक्षी संख्या 1 के नाम पर पट्टा जारी करने की कार्यवाही पूर्ण कर दी गई जो कार्यवाही गलत व विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। पट्टा जारी करने की प्रकिया है उसकी भी पूर्ण रूप से पालना नहीं की गई है न तो कोई उद्घोषणा जारी की गई ना कोई आपत्तियां मांगी गई और ना ही कोई सूचना पत्र ही जारी किया गया और जो कि पट्टा जारी करने की विधिक प्रकिया के तहत आवश्यक थी यदि उक्त पक्कया अपनाई जाती तो प्रार्थी की ओर से पट्टा जारी करने की कार्यवाही के दौरान ही अपना पक्ष रखा जाता व आपत्ति प्रस्तुत करते हुए सही स्थिति लाई जाती जिससे विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किसी भी हालत में पट्टा जारी नहीं होता लेकिन विपक्षी संख्या 2 द्वारा बगैर विधिक प्रकिया अपनाये उक्त सारी कार्यवाही विधिविरूद्ध की गई है जिससे उक्त पट्टे को निरस्त किया जाना आवश्यक है। विपक्षी द्वारा उक्त कथित पट्टा जारी कराने के बाद पुराने बने मकान को तोड कर मन्दिर की जमीन को भी अपने अन्दर मिला कर मौके पर निर्माण कार्य शुरू कराने पर मन्दिर की तरफ से आपत्ति की गई फिर भी विपक्षी द्वारा उक्त निर्माण कार्य को चालू रखा जिस पर प्रार्थी की ओर माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, झाडोल(फलासिया) उदयपुर में विपक्षी सख्या 1 व उसके दोनो पुत्रों के विरूद्ध वाद व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया जिसमें विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 से जारी कराये गये उक्त पट्टा दिनांक 05.10.2022 तथा पट्टा पंजीयन का विलेख दिनांक 07.12.2022 को प्रस्तुत करने पर प्रार्थी को मन्दिर की जमीन का भी पट्टा जारी कराने की जानकारी हुई तो प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 2 के यहा पर इसकी आपत्ति प्रस्तुत की गई जिस पर विपक्षी संख्या 2 द्वारा अपने पत्र दिनांक 23.05.2023 से यह सूचित किया गया कि उसके द्वारा पट्टे को निरस्त करने की कार्यवाही चालू कर दी गई है लेकिन इतना समय गुजरने के बाद भी विपक्षी संख्या 2 द्वारा उक्त कार्यवाही को पूर्ण नहीं किया गया तथा टालमटोली का रवैया अपनाया जाता रहा है जिससे प्रार्थी को विपक्षीगण के मध्य आपस में मिली भगत हो जाने की सम्भावना उत्पन्न होने से प्रार्थी की और से आप न्यायालय मे पट्टा निरस्त कराने हेतु चाराजोही करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होने से यह निगरानी प्रस्तुत की है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

फलासिया जिला उदयपुर द्वारा मिसल संख्या 282 बुक संख्या 5 पट्टा संख्या 27813 दिनांक 05.10.2022 को विपक्षी संख्या 1 के नाम जारी किया गया है को निरस्त फरमाया जावे तथा इसके अनुसरण में जो पट्टा पंजीयन का विलेख दिनांक 25.11.2022 को विपक्षी संख्या 1 के हक में उप पजींयक कार्यालय फलासिया में दिनांक 07.12.2022 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 12 में पृष्ठ संख्या 26 कम संख्या 20223522100501 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 34 के पृष्ठ संख्या 65 से 80 पर चस्पा किया गया उसे भी निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया। अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी मूर्ति पालेश्वर महादेव ना से मन्दिर गांव फलासिया में स्थित है। परन्तु 200 वर्ष पुराना होना अस्वीकार है निगरानी म्रे पडौस गलत अंकित किये है। वास्तविक पडौस निम्न है–

पूर्वः– फतेहलाल/ कैलाश का मकान,

पश्चिमः– आम रास्ता बाद में गांव का सार्वजनिक चौरा

उत्तर :– आम रास्ता

दक्षिण :– विमल जी जैन का मकान

इस प्रकार उपरोक्त पडौस के मध्य उक्त मन्दिर स्थित है। मन्दिर की भूमि का कोई पट्टा अपने नाम नहीं बनवाया है, बल्कि जो पट्टा बनाया है वह मन्दिर की भूमि को छोडकर बनाया है। मन्दिर की भूमि को सम्मिलित कर कोई पट्टा नहीं बनवाया है, बल्कि मन्दिर के परिसर को व परिक्रमा को छोड कर बनाया है। विशेष उत्तर पेश कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 को अपने निजी आवासीय मकान का पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर विपक्षी संख्या 2 द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति का अवलोकन किया, आपत्तियां भी प्राप्त की, पडौस की भी जानकारी प्राप्त की व पडौसियों के बयान भी लिये। इस प्रकार विपक्षी संख्या 2 ने पंचायत राज अधिनियम के प्रावधान के माफिक पट्टा जारी करने के पूर्व सारी विधिक प्रकिया को अपनाया, तत्पश्चात उक्त सारी विधिक प्रकिया पूर्ण होने के पश्चात् उक्त कार्यवाही को पंचायत कोरम में पेश किया, जिस पर पंचायत की कोरम ने सर्वसम्मति से निर्णय लेकर विपक्षी संख्या 1 को पट्टा जारी करने का आदेश दिया। तत्पश्चात विपक्षी संख्या 1 को पट्टा जारी किया गया उसके पश्चात् उक्त पट्टे का विपक्षी संख्या 2 द्वारा

अतारक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में उक्त पट्टे की कन्फर्मेशन डीड का उप पंजीयक कार्यालय में पंजीयन करवाया। इस प्रकार विपक्षी संख्या 2 ने सारी विधिक प्रकिया को पूर्णरूप से अपनाकर तथा पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के माफिक नियमों को ध्यान में रखते हुए विपक्षी संख्या 1 को पट्टा जारी किया गया। माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, झाडोल द्वारा वादग्रस्त स्थल की रिपोर्ट मंगवाई जाने हेतु अधिवक्ता श्रीमान दिलीप जी भामावत को कमिश्नर नियुक्त किया गया, जिस पर कमिश्नर महोदय द्वारा दिनांक 21.05.2023 को वादग्रस्त स्थल का भौतिक निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट मौके पर मौजूद मौतबिरान की मौजूदगी में तैयार कर माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश झाडोल में पेश की गई। इसके अलावा माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश झाडोल द्वारा विपक्षी संख्या 2 द्वारा माननीय वरिष्ठ न्यायाधीश झाडोल को दिनांक 18.08. 2023 को मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्रेषित की, जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया कि विपक्षी संख्या 1 जो पट्टा जारी किया गया है वो पट्टा विपक्षी संख्या 1 की भूमि का ही जारी किया गया है, न कि मन्दिर की जमीन का। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 1 को तंग व परेशान करने की गरज से तथा आर्थिक क्षति पहुंचाने की गरज से माननीय न्यायालय आप में यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो सम्पूर्ण हालत को मद्देनजर रखते हुए खारिज फरमाया जाना विधिसम्मत है। हल्के आबादी गांव फलासिया में विपक्षी संख्या 1 का आवासीय मकान स्थित हैं। जो उन्हें अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुआ हैं। जो सम्पत्ति विपक्षी संख्या 1 के दादाजी थावरचन्द पिता पीताम्बर जी मेहता/ब्राहम्ण ने मुसम्मात रोडी बाई बेवा कालुलाल वल्द सुरजमल चांपावत /महाजन हुमड निवासी फलासिया से प्रतिफल राशि रूपये 499/– की अदायगी कर दिनांक 18. 04.1941 को क्रय किया गया है। जिसके तत्कालिन पडौस पूर्व में थावरचन्द जी का रिहायशी मकान पश्चिम में पंचायती नौरा का औठला, दक्षिण में दाडमचन्द वल्द गुलाबचन्द जी चांपावत का मकान व माधव जी कारू जी चांपावत का मकान तथा उत्तर तरफा विक्रेता का रिहायशी मकान। जिसके वर्तमान पडौस उक्त जवाब की कलम संख्या 2 में अंकित है। वर्णित परिसर पुराने विक्रय पत्र, विपक्षी संख्या 1 के निवास, उपयोग–उपभोग एवं विरासतन आधिपत्य के आधार पर पंचायत ने पट्टा बनाया है। उसमें वर्तमान पडौस जो है अंकित किये है। मन्दिर का पडौस अति छोटा होने से अंकित नहीं किया है। आध्यात्मिक गुरू श्री सेवादास जी महाराज के कहने पर उपरोक्त सम्पत्ति के एक कौने में एक शिवलिंग की स्थापना संवत् 2008 में कराई । व एक छोटा सा मन्दिर बनाया व स्वयं के खर्च से ध्वजादण्ड चढाया यह स्थान पालेश्वर महादेव ना से जाना जाने लगा। 2019 में गांव वालो के कहने पर विपक्षी संख्या 1 ने अपने पुराने मकान की चबुतरी व कच्ची मिट्टी की कोट को गिरा कर मन्दिर को बडा करने की

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

गर्ज से 2 फीट जगह और दी। जिस पर समस्त ग्रामीणों के जन सहयोग से मन्दिर का निर्माण करवाया है। महादेव स्थान विपक्षी संख्या 1 के पूर्वजों का होकर जिसकी सेवा पुजा ध्वजादण्ड का अधिकार विपक्षी संख्या 1 के परिवार का है। प्रार्थीगण का इससे कोई सरोकार नहीं है। इसके बावजूद प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 1 को अपने स्वामित्व आधिपत्य की उपरोक्त सम्पति से जबरन बेदखल करने की गर्ज से बराबर धमकीया दे रहे है और इस आशय से माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया है। विपक्षी के पास उपलब्ध दस्तावेजों में कहीं पर भी मन्दिर व चबूतरा नहीं दर्शाया गया है। जिससे जाहिर होता है कि उक्त वादग्रस्त चबूतरा विपक्षीगण का है और जिस पर चबूतरे व मन्दिर निर्माण हुआ वह जमीन विपक्षी संख्या 1 की है। अतः प्रार्थना है कि विपक्षी संख्या 1 का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण देव मूर्ति पालेश्वर महादेव जरिये वादमित्र द्वारा प्रस्तुत की गई निगरानी को अस्वीकार फरमाया जा कर खारिज फरमाया जावे तथा विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को यथावत रखाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि पालेश्वर महादेव का मन्दिर स्थित है यह लोगो के आस्था का केन्द्र है। मंदिर के पूर्व दिशा में 3 फीट जमीन लोगो के परिक्रमा हेतु छुटी है। विपक्षी का प्लॉट मन्दिर के पास स्थित है। विपक्षी ने परिक्रमा की जमीन को भी अपने अन्दर मिला लिया है। झुठा नक्शा बनाकर पट्टा उठाया है। पुराना मकान था तो पट्टा वैसे ही उठाया जाना चाहिए। आपत्तियां भी नहीं मांगी गई। सूचना चस्पांगी नहीं की गई। 3 फीट भूमि सार्वजनिक भूमि है पट्टा जारी करने की प्रक्रिय पुरी नहीं की गई है। अतः प्रकरण को स्वीकार कर पट्टे को निरस्त किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि पुराने पट्टे की ही कंफरमेशन डीड है पंचायत की रिपोर्ट का चुकी है। सिविल कोर्ट में दावा कर रखा है एक ही ईश्यू को लेकर 2 कोर्ट में नहीं जा सकते है। मौका देखने के बाद मंदिर की भूमि को छोडकर पट्टा दिया है। पट्टा विधिवत जारी किया गया है निगरानी निरस्त किया जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन किया। अधीनस्थ कार्यालय ग्राम पंचातय द्वारा पत्र कमांक 19 दिनांक 12.06.2024 पेश कर निवेदन किया कि मूल पट्टा सिविल न्यायालय द्वारा चाहा जाने से सिविल न्यायालय में पेश किया है शेष पट्टा की पत्रावली इस न्यायालय में पेश की है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

रेकर्ड का गम्भीरता से अवलोकन करने के उपरान्त यह तथ्य स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उक्त निगरानी विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त कराने के लिए प्रस्तुत की गयी है एवं मयाद कंडोन किये जाने हेतु धारा 5, मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जानकारी में आते ही अविलम्ब निगरानी पेश करना बताया है। न्यायहित में निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब की अवधि को कंडोन की जाकर मेरिट पर प्रकरण निर्णित किया जाना हम उचित समझते है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 5, मयाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब की अवधि को कंडोन किया जाता है।

मूल प्रकरण अनुसार ग्राम पंचायत फालासिया द्वारा दिनांक 05.10.2022 को जारी पट्टे को निरस्त कराने हेतु निगरानी पेश की गई है। निगरानीकर्ता के कथनानुसार पालेश्वर महादेव का मन्दिर होकर उसकी परिक्रमा हेतु 3 फीट भूमि का विपक्षी संख्या 1 द्वारा गलत रूप से पट्टा प्राप्त कर लिया गया है। पट्टा पूरी प्रक्रिया से नहीं जारी किया जाना बताया है पट्टा निरस्त कराना चाहते है। इसके विपरित विपक्षी का तर्क है कि विपक्षी का पैतृक मकान था उसी मकान का कन्फर्मेशन हेतु पट्टा जारी करवाया है मंदिर की कोई अतिरिक्त भूमि का पट्टा प्राप्त नहीं किया गया है। उक्त प्रकरण को लेकर सिविल न्यायालय में भी वाद विचाराधीन होना बताया है। उभय पक्ष द्वारा अपने जवाब में अलग–अलग पडौस का वर्णन किया है। प्रथम दृष्टया यह माना भी जावे कि ग्राम पंचायत द्वारा मौका देखकर पट्टा जारी किया गया है, परन्तु वादमित्र के जरिये प्रार्थीगणों द्वारा देवमूर्ति पालेश्वर महादेव की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 3 फीट भूमि जो मंदिर की परिक्रमा हेतु थी उस पर पट्टा प्राप्त करने का भी वर्णन किया है। प्रार्थी द्वारा जो पडौस अंकित किया है उसमें पूर्व में मन्दिर की परिक्रमा करने की तीन फीट की भूमि के बाद विपक्षी संख्या 1 की भूमि का वर्णन किया है। उसी प्रकार विपक्षी सख्या 1 द्वारा जो पडौस अंकित किया है उसमें पश्चिम में आम रास्ता बाद मे गांव का सार्वजनिक चौरा का वर्णन किया हुआ है। ग्राम पंचायत में पट्टे हेतु जो आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र पेश किए है उसमें भी विपक्षी द्वारा पश्चिम मे आम रास्ता का वर्णन किया है। ऐसी स्थिति में यह माना जा सकता है की पट्टा प्राप्त करने हेतु लगाई गई पत्रावली में पश्चिम दिशा में मन्दिर एवं उसकी 3 फीट परिक्रमा की भूमि का अंकन नहीं करने का तथ्य जानबूझकर छूपाया गया है। इससे पट्टा प्राप्त करना भी संदेहास्पद मालूम होता है। मामला सार्वजनिक होकर महादेव मन्दिर से संबन्धित होकर लोगो के आस्था से जुडा हुआ हैं यदि मंन्दिर की भूमि पर पट्टा प्राप्त कर लिया गया है तो वह कहीं न कहीं ग्राम पंचायत की विधिक त्रुटि कारित होना प्रतीत होता है। विपक्षी केवल

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)

अपने पुराने मकान आधिपत्य के आधार पर उक्त मकान का ही पट्टा प्राप्त कर सकता है। यदि पट्टा प्राप्त कर उस पट्टे के आधार पर मन्दिर की भूमि पर निर्माण कार्य कर अतिक्रमण करता है तो कानून इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। विपक्षी को स्वंय भी चाहिए की वह उसके पैतृक भूमि अनुसार ही मौके पर पट्टा प्राप्त करे। मंदिर जैसे सार्वजनिक/लोगो के आस्था से जुडे स्थल पर यदि पट्टे की आड में अतिक्रमण होता है तो यह कानूनन अनुचित है, ऐसा दिया गया पट्टा भी निरस्त योग्य है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार योग्य पाई जाती है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 का स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत फलासिया द्वारा जारी पट्टा सं. 27813 दिनांक 05.10.2022 का निरस्त किया जाता है। ग्राम पंचायत फलासिया इस संबंध में मंदिर एवं परिक्रमा की भूमि को छोडते हुए विपक्षी के पुराने मकान के आधार पर नये सिरे से पट्टा जारी करने हेतु स्वतन्त्र है। निर्णय की एक–एक प्रमाणित प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर, विकास अधिकारी प.स. फलासिया को प्रेषित की जावे एवं ग्राम विकास अधिकारी फलासिया को मूल पत्रावली मिसल संख्या 282 मय निर्णय पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर (राज.)